कोरियर कंपनी खोलकर लोगो के सामान पहुचाने के नाम पर सामान और रूपये हड़पने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे 20 लाख रुपये कीमती सामान व 68 हजार रूपये बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली/क्राइम ब्रान्च को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 418/2023 धारा 420,406,467 भादवि में वांछित अभियुक्त गोपालचन्द्र बरीक पुत्र कार्तिक बरीक निवासी बलियापाल हाशिमपुर उड़ीसा, हाल पता बिग ब्वायज पैकर्स एण्ड मूवर्स 12 लोकेश रेड्डी सदर बंगला मेन रोड ओडी गली सदर मंगला बस स्टाफ बैंगलोर कर्नाटका को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कोरियर कंपनी खोलकर लोगो के सामान पहुचाने के नाम पर हड़पा हुआ विभिन्न सामान (20 लाख रुपये कीमती) तथा ट्रान्सपोर्ट के नाम पर लिये गये 68 हजार रूपये बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि, दिनांक 24.11.2023 को थाना कोतवाली नगर में वादी संजीव कुमार सिंह निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ द्वारा थाना कोतवाली में तहरीर दी गयी कि इनके भाई बैंगलोर में सपरिवार रहकर एक कम्पनी में नौकरी करते है, जिनका ट्रांसफर कनाडा में हो गया गया, उनके द्वारा एक कोरियर कम्पनी के माध्यय से घर का सारा सामान कीमत लगभग 20 लाख तथा 68 हजार रूपये किराया देकर अपने घर मऊ भेजा गया है लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी उक्त कोरियर कम्पनी द्वारा न ही सामान पहुचाया गया नही कोई सूचना दी जा रही है। कोरियर कम्पनी द्वारा सामान पहुचाने के नाम पर विभिन्न प्रकार के बहाने बनाये जा रहे है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर उक्त अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्रकरण की विवेचना निरीक्षक सौरभ कुमार राय क्राइम ब्रांच को दी गयी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा बैगलोर पंहुच कर जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त कोरियर कम्पनी नाम बिग ब्वायज पैकर्स एण्ड मूवर्स, गोपाल नाम का व्यक्ति चलाता है तथा इस समय सब कुछ बन्द कर सामान और रूपये हडप कर ओडिसा भाग गया है तत्पश्चता वही से पुलिस टीम ओडिसा पहुच कर उसको नियमानुशार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सारा सामान तथा ट्रांसपोर्ट के नाम पर लिये गये 68 हजार रूपये बरामद किया गया। इस दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा दिल्ली, बैगलोर और ओडिसा से भी सामान पहुचाने के नाम पर कई लोगो के रूपये व सामान हड़प लिया गया है ऐसे भी कई लोगो से सम्पर्क किया गया है तथा उनके सामान व रूपयों को भी दिलवाया जाएगा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. गोपालचन्द्र बरीक पुत्र कार्तिक बरीक निवासी बलियापाल हाशिमपुर उड़ीसा, हाल पता बिग ब्वायज पैकर्स एण्ड मूवर्स 12 लोकेश रेड्डी सदर बंगला मेन रोड ओडी गली सदर मंगला बस स्टाफ बैंगलोर कर्नाटका।

बरामदगी–

1. किंग साइज बेड, सोफा, टीवी, एसी, झुला, वासिंग मशीन, टेबल, स्कूटी, बाईक व अन्य घरेलु सामान कीमत 20 लाख रूपये।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक सौरभ राय, क्राइम ब्रान्च मऊ, उ0नि0 रंजीत विश्वकर्मा, आरक्षी संतोष कुमार, रंजीत कुमार गुप्ता थाना कोतवाली मऊ।

फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर एफसीआई में नौकरी प्राप्त करने के कोशिश करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 100/23 धारा 420,467,468 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अमरेश कुमार पुत्र सकलदीप निवासी बरलाई थाना सरायलखंसी तथा रामसरिख पुत्र कपिलदेव निवासी हकीकतपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा एफ0सी0आई0 में नौकरी के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर अपने घर रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था, तथा एफसीआई के पते से चरित्र सत्यापन के लिए थाना सरायलखंसी और कोतवाली भी भेजा गया था। चरित्र सत्यापन के बाद पुलिस थानों द्वारा सत्यापन रिपोर्ट एफ0सी0आई0 को भेजा गया। तत्पश्चात एफ0सी0आई0 आफिस द्वारा बताया गया कि इस तरह की कोई भर्ती एफसीआई द्वारा नही निकाली गयी है तथा इसके क्रम में मण्डल प्रबंधक एफसीआई द्वारा थाना सरायलखंसी पर तहरीर दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए उपरोक्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

एक वांछित तथा 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 05.02.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बन्धा रोड से मु0अ0सं0 37/24 धारा 328,376 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सूरेश सेानकर पुत्र झूरी लाल सोनकर निवासी मठियाटोला थाना कोतवाली तथा वारंटी अभियुक्तगण थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा अब्दुल वहाव पुत्र अब्दुल गनी निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोल तथा थाना घोसी पुलिस द्वारा वकील पटेल पुत्र नरसिंह पटेल निवासी भैरोपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।